अनु. 55 - राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया - President's election process -

हस्ताक्षरीय , एकलमत , अनुपातिक , संक्रमणिय ,प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा
Handle, Single opinion, Ratio, Infection, Representation system

एक विधायक के वोट का मूल्य = राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या×1000
Value of the vote of an MLA = Total number of members elected in the state Legislative Assembly × 1000

एक सांसद के वोट का मूल्य = सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या Value of the vote of an MP = Total value of the votes of all MLAs of all states

→ अनु० - 55 - हस्तांतरणीय, एकल मत, आनुपातिक संक्रमणीय प्रतिनिधित्व प्रणाली

विधान सभा सदस्यों का वैध मत = राज्य की कुल जनसंख्या / (विधानसभा के निर्वाचित सदस्य × 1000)

प्रत्येक राज्य का अलग-अलग।

संसद सदस्य का वैध मत = देश के कुल विधान सभा सदस्यों का वैध मत / संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य

बराबर ⇐ लोकसभा + राज्यसभा

⇒ विजय मत :- 1/2 + 1

A	1	3	3	1	2
B	2	1	2	3	1
C	3	2	1	2	3

द्वितीय वरियता :-

→ प्रथम वरियता पर :- A - 2 → 1

B - 2 → 2] → 3 → आधे से अधिक

C - 1 → लड़ाई से बाहर :

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ता है।
1997 से पहले यह संख्या - 20 - 20 थी।

→ राष्ट्रपति की जमानत राशि - 15000/ रु० RBI के नाम से जमा होगा, यदि कुल पड़े वैध मत का 1/6 हिस्सा से कम मत पाता है, तो जमानत राशि जब्त।

अनु 56 - राष्ट्रपति का कार्यकाल Tenure of the President

1. शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक , Up to 5 years from swearing in .

2. इससे पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। Before this, the Vice President can leave his post by submitting his resignation letter.

↳ राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को

3. महाभियोग द्वारा पद से हटा सकते है। Is removed from office by impeachment.

↳ अनु. 61

Note- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा केवल राष्ट्रपति को पद से हटा सकते है, अन्य व्यक्ति जैसे- CAG, SC और HC के न्यायधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाते है)

अनुच्छेद 57- राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन – Re-election of the President

एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।
A person who holds, or has held, office as President, shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

→ अब तक सबसे अधिक बार भारत के राष्ट्रपति दो बार बने है, → डॉ० राजेन्द्र प्रसाद।

→ प्रथम बार राष्ट्रपति - 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया।

अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें - Terms of office of the President -

(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है, यह माना जाएगा कि जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा, उस दिन उसने उस सदन में अपनी सीट खाली कर दी है। The President shall not be a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State, and if a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State is elected President, he shall be deemed to be the President on the date on which On the day on which he shall assume his office as President, he has vacated his seat in that House.

(2) राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। The President shall not hold any other office of profit.

(3) राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जायेंगे। The emoluments and allowances of the President shall not be reduced during his tenure.

अनु 60 - राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान-Oath or affirmation by the President

राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जायेगा।
The President will be sworn in by the Chief Justice of the Supreme Court.

अनु 62 - राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह में भर लिया जाना अनिवार्य
It is mandatory for the post of President to be filled within a maximum of 6 months .

→ कार्यवाहक राष्ट्रपति
⇓
उपराष्ट्रपति

अनु 61 - महाभियोग प्रक्रिया - (अर्ध न्यायिक प्रक्रिया) Impeachment Process - (Quasi Judicial Process)

(1)- संसद की किसी भी एक सदन के एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति पर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाएंगे। One-fourth of the members of any one house of the Parliament will accuse the President of constitutional incompetence.

(2)- 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा। No action will be taken for 14 days.

(3)- जिस सदन ने आरोप लगाया है यदि यह सदन 2 /3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे , If the House which has made the allegation passes the resolution with 2/3 majority,

(4)- राष्ट्रपति स्वयं या किसी प्रतिनिधि के द्वारा अगले सदन में सफाई प्रस्तुत करेगा। The President himself or through a representative will present the explanation in the next House.

(5)-यदि यह सदन भी 2 /3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण। If this House also passes the proposal with 2/3 majority, then the impeachment process on the President will be complete.

→ महाभियोग पूर्ण होते ही तत्काल प्रभाव से खाली।

→ विधान सभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मे भाग लेते है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया मे भाग नही लेते।

→ मनोनीत सदस्य निर्वाचन मे भाग नही लेता लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया मे भाग लेता है।

→ विधान परिषद न तो निर्वाचन मे नाही पद से हटाने मे भाग लेता है

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING